सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 54/2011

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामपाल पुत्र श्री अमराराम 2. विजयपाल पुत्र श्री अमराराम जातियान पटेल (कुम्हार) निवासीगण ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. भानुप्रकाश पुत्र श्री विजयशंकर जाति ब्राहम्ण, निवासी गावं राजलदेसर, तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज. 2. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 05.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम पड़ासला कलॉ राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार सरकार इस प्रकरण में जवाब पेश करना नही चाहते है।

अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद नोटिस तामिल के गैर हाजिर है अतः इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 पंजीबद्ध दस्तावेज से क्रेता है। जब तक पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नही किया जाता है तब तक भूमि क्रेता के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर राजस्व मूल वाद संख्या /2011 रामपाल वगैराह बनाम भानुप्रकाश वगैराह के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा